

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / पीए / आयुक्त / 2009 / 673 से 703

दिनांक :- 20/4/2009

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों में आम जन एवं श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से National Building Code of India 2005, Handbook on Construction Safety Practices (SP 70 : 2001) & Excavation Work Code of Safety (IS 3764 : 1992) की पालना आवश्यक है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता कम अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक CE/PWD/ SE(P&D)/Circular/D-170 Dated 29-05-2006 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में दिये गये निर्देशों की जोधपुर विकास प्राधिकरण के समस्त कार्यों में सख्ती से पालना की जावे अन्यथा परिणामों के लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जायेगी।

J. G.

(गौरव गोयल)

आई.ए.एस.

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक / पीए / आयुक्त / 2009 / 673 से 703

दिनांक :- 20/4/09

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पालनार्थ।
4. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पालनार्थ।
5. सहायक अभियन्ता श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पालनार्थ।
6. कनिष्ठ अभियन्ता श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पालनार्थ।

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4

J. G.
20/4

(गौरव गोयल)

आई.ए.एस.

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

सुमन लोटा

J. G.

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09

J. G.
20/4/09